जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 09.01.2025

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामले में 01 अभियुक्त को 01 वर्ष की परिवीक्षा पर सदाचरण बनाये रखने हेतु नियमानुसार अवमुक्त किया गया

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप दिनाँक 08.01.2025 को ***मा0 न्यायालय जे0एम0 संतकबीरनगर*** द्वारा **थाना धनघटा** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0867/2007 धारा 325, 323, 506 भादवि प्रतिवादी बेनी माधव पुत्र भिखु पुत्र पतिजीव थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर में आदेश दिया गया कि मु0अ0सं0 0867/2007, मु0नं0 1860/2013 राज्य बनाम बेनी माधव थाना धनघटा जनपद सं0क0न0 के मामले में अभि0 बेनी माधव को धारा 323, 325, 506 भादवि के आरोप में दोषसिद्ध के फलस्वरुप अभि0 को जिला कारागार भेजने के स्थान पर एक वर्ष की परिवीक्षा पर सदाचरण कायम रखने हेतु निम्न शर्तों के अधीन छोड़ा जाये। 1- अभि0 मु0 25000/- रुपये के निजी बन्धपत्र व समान धनराशि का एक प्रतिभू जिला परिवीक्षा अधिकारी सं0क0न0 के समक्ष निर्णय की तिथि 15 दिन अन्दर निष्पादित करें। 2- अभि0 इस आशय का 25000/- रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र निष्पादित करें। कि वह इस अवधि के दौरान सदाचरण बनाये रखेगा। तथा प्रशान्ति कायम रखेगा। 3- अभि0 द्वारा बन्धपत्र निष्पादित न करने अथवा निष्पादित किये जाने की वह इस अवधि के अन्दर अभि0 द्वारा कोई अपराध किये जाने पर इस न्याया0 को यह अधिकार होगा कि वह अभि0 को तलब कर उन्हे दण्डादेश के बिन्दु पर सुनकर उनके विरुद्ध यथोचित आदेश पारित करे और दण्डादेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये। 4- अभि0 परिवीक्षा अधिकारी तथा न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर इस दौरान उनके समक्ष उपस्थित आता रहेगा।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा डिजिटल वॉरियर्स कार्यशाला का किया गया आयोजन, 'डिजिटल योद्धा (सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कॉलेज के छात्रों का एक नेटवर्क) को भर्ती कर किया गया प्रशिक्षित।

आज दिनांक 09.01.2025 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री केशवनाथ*** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना ***श्री आलोक सोनी*** व ***सोशल मीडिया सेल*** के नेतृत्व में *ब्लूमिंग बर्ड्स स्कूल खलीलाबाद* में विद्यालय के प्राचार्य श्री शैलेश त्रिपाठी, समस्त अध्यापकगण व छात्र / छात्रों को डिजिटल वॉरियर्स बनने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। अध्यापकगण व छात्र/छात्राओं को डिजिटल वॉरियर्स के कार्य जैसे अफवाहों को रोकना, अफवाहों को खंडन करना, सोशल मीडिया पर ऐसे फेक न्यूज़ जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं उनका

खंडन करना, सोशल मीडिया के किसी भी सूचना को बिना जाने समझे शेयर न करना, पुलिस के कार्यों को प्रोत्साहित करना आदि के बारे में जानकारी दी गयी । उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार 'डिजिटल योद्धा (सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरऔर कॉलेज के छात्रों का एक नेटवर्क) साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाएंगे, भ्रामक खबरों का मुकाबला करेंगे । आम नागरिकों को साइबर प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षित करेंगे और पुलिस के सराहनीय कार्यों और अभियानों का प्रचार करेंगे । यूपी पुलिस की इस नई पहल का उद्देश्य स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों को फर्जी खबरों पर अंकुश लगाना और साइबर खतरों की पहचान करने और उनका प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षित करना है । इसके साथ ही, लोगों में साइबर अपराध के खिलाप जागरूकता बढ़ाना है ।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 07 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- थाना मेहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 182 वाहनों से 1,89,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 09.01.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 182 वाहनों से 1,89,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5262 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 02 लोगों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 5262 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत तुर्कवलिया से कालर द्वारा बाइक से ठोकर लग जाने से घायल 02 लोगों (1. अंकिता पुत्री नारायण धनघटा जनपद.सन्तकबीरनगर ग्राम बालमपुर थाना, 2. विवेक पुत्र रामचरण ग्राम चपरा,तुर्कवलिया थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया । सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सीएचसी मलौली भेजवाया गया । घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल लोगों को ईलाज हेतु सीएचसी मलौली भेजवाया गया । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।

***पीआरवी स्टाफ-* आ0 बसन्त चौहान, हो0चा0 राकेश सिंह ।**

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 05 स्थान पर लगवाये गये 25 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे ***आपरेशन त्रिनेत्र*** हर घर कैमरा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 09.01.2025 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 05 स्थान पर 25 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। थाना धनघटा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 03 कैमरा, थाना महुली पुलिस द्वारा 02 स्थान पर 14 कैमरा, थाना बखिरा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 04 कैमरा, थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 04 कैमरा लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।